न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अंजु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 2012 / 00038

उनवान

मृतक रतु पिता गौतम पंचाल जाती पंचाल निवासी सामागड़ा तहसील गढी जिला बांसवाडा के वारिसानः–

1/1. पवन पिता स्व0 श्री रतु पंचाल निवासी सामागड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

1/2. राजेन्द्र पिता स्व0 श्री रतु पंचाल निवासी सामागड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

1/3. नरेश पिता स्व0 श्री रतु पंचाल निवासी सामागड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

1/4. अरविन्द पिता स्व0 श्री रतु पंचाल निवासी सामागड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

–: वादीगण

बनाम

मृतक लक्ष्मणपुरी पिता वजेपुरी साधु जाति साधु निवासी सामागडा तहसील गढी जिला बांसवाडा के वारिसानः–

1/1. कमलेशपुरी पिता स्व श्री लक्ष्मणपुरी निवासी सामागडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

1/2. गजेन्द्रपुरी पिता स्व0 श्री लक्ष्मणपुरी निवासी सामागडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

1/3. श्रीमती शान्ति पत्नि स्व0 श्री लक्ष्मणपुरी निवासी सामागडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

2) तहसीलदार, गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

–: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 136, 209 रा.लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय

दिनांकः 28.3.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के निजी स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि आराजी नम्बर 1485 एवं नया 441 पुराना रकबा 0.11 एयर भूमि वाके ग्राम सामागडा तहसील गढी जिला बांसवाडा में स्थित है। उक्त भूमि वादी के कब्जे स्वामित्व की होकर 04/01/1975 को प्रार्थी के द्वारा कृषि से अकृषि परिवर्तन करवाकंर तहसीलदार गढी द्वारा सनदी पट्टा वादी के पक्ष में जारी किया गया तथा उस पर वादी ने अपना मकान बनाकर शेष भूमि बाड़े के रूप में उपयोग ले रहा है तथा उक्त भूमि का नामान्तरकरण भी वादी के नाम रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज हुआ। प्रतिवादी नम्बर 1 अप्रार्थी का पड़ौसी है। उक्त भूमि पर कभी भी प्रतिवादी का हक व अधिकार नही रहा परन्तु प्रतिवादी ने वादी के स्वामित्व की भूमि को राजस्व अधिकारियों से मिलकर उसके नाम फर्जी तरीके से नामान्तरण दर्ज करवा लिया। प्रतिवादी का उक्त भूमि पर कोई हक व अधिकार नही है न ही कब्जा है वादी की जानकारी के बिना At the back of party प्रतिवादी नम्बर 1 ने राजस्व अधिकारियों से व प्रतिवादी नम्बर 2 से मिलीभगत कर फर्जी तरीके से राजस्व रेकार्ड मे अपना नाम दर्ज करवा लिया जो हटाया जाना आवश्यक है। वादी ने कई राजस्व अभियानों में निवेदन किया परन्तु उक्त भूमि को नही सुधारा गया। वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 1 जान बुझकर वादी की उक्त भूमि पर अतिक्रमण के प्रयास कर आये दिन लडाई झगडा कर परेशान कर रहा है। जिससे वादी को भारी परेशानी उत्पन्न हो रही है तथा अपनी भुमि के उपयोग व उपभोग से वंचित हो रहा है। उक्त राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मियों की गलती से हुई उक्त त्रुटी को सुधार कर वादी का नाम दर्ज रेकार्ड किया जाना आवश्यक होने वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.03.28 16:09:10 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुत किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये जो बाद तामील प्राप्त होने प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री शिवलालपुरी अभिभाषक का वकालतनामा पेश होकर जवाब प्रस्तुत हुआ। तत्पश्चात् प्रकरण में निम्नानुसा तनकियात् कायम की गईः–

1. आया विवादित आराजी वादी के स्वामित्व व कब्जे काश्त की रही है।

–: वादी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

2. आया विवादित आराजी पर स्वामित्व प्रतिवादी के हक में फर्जी तरीके से नामान्तरकरण खोला जाकर किया जाने से प्रतिवादी का हक नहीं बनता है।

–: वादी

3. आया विवादित आराजी विधिवत् रूप से प्रतिवादी के हक में आवंटन होने व आरक्षित मूल्य जमा कर खातेदारी हक स्वीकृत होने से वादी का कोई हक नही रहने से वाद का अनुतोष स्वीकार योग्य नही है।

–: प्रतिवादी संख्या–1

4. आया वादकारण उत्पन्न नही हुआ है। वादी खारिज योग्य है।

–: प्रतिवादी संख्या–1

प्रकरण में वादी की साक्ष्य के रूप में pw–1 रतु पिता गोतम पंचाल, pw–2 कचरू पिता गोतम पंचाल, pw–3 वेलजी पिता प्रेमचन्द पंचाल के शपथ–पत्र पेश होकर पत्रावली जिरह हेतु नियत की जाने पर पादी अभिभाषक द्वारा वादी रतु के फोत होना अवगत करातें हुऐ मृतक वादी के वारिसान का कायम मुकाम कराया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में प्रतिवादी लक्ष्मणपुरी के फोत होना अवगत करातें हुऐ मृतक प्रतिवादी के वारिसान का कायम मुकाम कराया गया। तत्पश्चात् वादी की साक्ष्य के रूप में नरेश पिता रतु पंचाल का शपथ–पत्र पेश हुआ। वादी की साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत गवाह रतु पिता गोतम के शपथ–पत्र के समर्थन में वादी अभिभाषक द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत अभिलेख p–1 सनद् पट्टा, p–2 तुलनात्मक पत्र, p–3 नकल खसरा गिरदावरी संवत 2029 प्रदर्श करवाये गये तत्पश्चात् प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा वादी के गवाह रतु पिता गोतम तथा नरेश पिता रतनजी से जिरह की जाने के पश्चात् वादी की साक्ष्य बन्द होकर प्रतिवादी की साक्ष्य के रूप में श्रीमति शान्ति पत्नि लक्ष्मणपुरी का शपथ–पत्र पेश होकर प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अभिलेख d–1 आवंटन आदेश, d–2 आवंटन शुल्क जमा कराने की रसीद, d–3 पैनाल्टी की रसीद, d–4 नकल जमाबन्दी, d–5 नक्षा ट्रेस प्रदर्श करवाये गये तत्पश्चात् वादी अभिभाषक द्वारा प्रतिवादी के गवाह श्रीमति शान्ति पत्नि लक्ष्मणपुरी से जिरह की गई। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की जाने पर बकुलाय की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन् करने एंव पत्रावली में प्रस्तुत वाद, राजस्व अभिलेख तथा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत शपथ–पत्र, प्रदर्श दस्तावेजात् आदि का संक्षिप्त अवलोकन किया जाकर निम्नानुसार तनकिवार निर्णय पारित किया जाता हैः–

<u>वादीगण की तनकियात्</u>

तनकी संख्या 01:– उक्त तनकी को सिद्व करने का भार पूर्णतया वादी पर था। वादी ने इसे सिद्ध करने के लिये प्रदर्श p–1 सनद् पट्टा, तहसीलदार, गढ़ी के द्वारा जारी पुराना सर्वे नम्बर 441 रकबा 12 बिस्वा का सनद पट्टा दिनांक 04.01.1975 पेश हुआ जिसमें उल्लेख किया गया हैं कि ''राजस्थान राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या एफ 6 (17)राज./ख/71 दिनांक 03 जुलाई 1971 के अनुशरण में कृषि भूमि के कृषि भिन्न प्रयोजनो अर्थात मकान के लिये अपने अनाधिकृत कब्जे के परिवर्तन हेतु'' इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी के कब्जे की होने से उक्त तनकी आंशिक वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02:– उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नही किये। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>प्रतिवादीगण की तनकियात</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.03.28 16:09:10 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 03:– उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में d–1 आवंटन आदेश, d–2 आवंटन शुल्क जमा कराने की रसीद, d–4 नकल जमाबन्दी के अनुसार उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04:– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार (भूमिधारी) की रिपोर्ट दिनांक 08.9.2023 अनुसार वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी के वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड हैं परन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि पर 60X110 अर्थात 6600 वर्गफीट में वादी के वारिसान का आवासीय मकान/परकोटा निर्मित होने से उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
... जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद, अभिलेख, साक्ष्य तथा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब, अभिलेख, साक्ष्य का सक्षिंप्त अवलोकन एंव बकुलाय की बहस पर मनन तथा वादीगण व प्रतिवादीगण की निर्णित तनकियात के परिप्रेक्ष्य में वाद–पत्र में वर्णित पटवार हल्का आसोड़ा के मौजा सामागड़ा के पुराना सर्वे नम्बर 441 रकबा 12 बिस्वा भूमि वादी रतु पिता गोतम के नाम तहसीलदार, गढ़ी के आदेश दिनांक 04.01.1975 को "राजस्थान राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या एफ 6 (17)राज./ख/71 दिनांक 03 जुलाई 1971 के अनुसरण में कृषि भूमि के कृषि भिन्न प्रयोजनो अर्थात मकान के लिये अपने अनाधिकृत कब्जे के परिवर्तन हेतु" सनद पट्टा जारी किया था। इस प्रकार उक्त भूमि पर पूर्व से ही वादी का कब्जा होकर मौके पर मकान/बाड़ा होने से उक्त सनद जारी हुई थी जिसका राजस्व कर्मचारियों की गलती से राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अमल दरामद नही होने तथा कालातित समय में वादग्रस्त भूमि श्रीसरकार दर्ज रिकार्ड होने से वर्ष 1989 में उक्त वादग्रस्त पुराना सर्वे नम्बर 441 रकबा 13 बिस्वा भूमि प्रतिवादी के नाम आवंटित होकर प्रतिवादी से प्रिमियम राशि भी जमा कराई जाकर खातेदारी अधिकार भी प्रदान होकर पटवार हल्का आसोड़ा के मौजा सामागड़ा की जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 की खाता संख्या 290 (नई) 270 (पुरानी) में हॉल सर्वे नम्बर 1485 रकबा 0.11 हे0 भूमि वादी लक्ष्मणपुरी के नाम दर्ज रिकार्ड है।

तहसीलदार (भूमिधारी) की रिपोर्ट अनुसार पटवार हल्का आसोड़ा के मौजा सामागड़ा के सर्वे नम्बर 1485 रकबा 0.11 हे0 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कमलेशपुरी, गजेन्द्रपुरी पिसरान् लक्ष्मणपुरी, शान्तिदेवी पत्नि लक्ष्मणपुरी के नाम दर्ज रिकार्ड है परन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि पर 60X110 अर्थात 6600 वर्गफीट में वादी के वारिसान नरेश पंचाल पिता रतु पंचाल, अरविन्द पिता रतु पंचाल का आवासी मकान एंव परकोटा निर्मित है।

अतः पटवार हल्का आसोड़ा के मौजा सामागड़ा की जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 की खाता संख्या 290 (नई) 270 (पुरानी) में हॉल सर्वे नम्बर 1485 रकबा 0.11 हे0 भूमि प्रतिवादी के वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड जरूर है परन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी के वारिसान का 6600 वर्गफीट भूमि पर कब्जा होकर मकान/परकोटा निर्मित होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी के वारिसान के नाम दर्ज पटवार हल्का आसोड़ा के मौजा सामागड़ा की जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 की खाता संख्या 290 (नई) 270 (पुरानी) में हॉल सर्वे नम्बर 1485 रकबा 0.11 हे0 भूमि के इन्द्राज को निरस्त कर वादी के वारिसान पवन पिता स्व0 श्री रतु पंचाल, राजेन्द्र पिता स्व0 श्री रतु,, पंचाल, नरेश पिता स्व0 श्री रतु पंचाल, अरविन्द पिता स्व0 श्री रतु पंचाल निवासी सामागडा तहसील गढी को रकबा 0.07 हे0 भूमि तथा प्रतिवादी के वारिसान कमलेशपुरी पिता स्व0 श्री लक्ष्मणपुरी साधु, गजेन्द्रपुरी पिता स्व0 श्री लक्ष्मणपुरी साधु, श्रीमति शान्ति पत्नि स्व0 श्री लक्ष्मणपुरी साधु निवासी सामागड़ा को रकबा 0.04 हे0 भूमि का पृथक–पृथक खातेदार घोषित किया जाता है।

(अन्जू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी के वारिसान के नाम दर्ज पटवार हल्का आसोड़ा के मौजा सामागड़ा की जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 की खाता संख्या 290 (नई) 270 (पुरानी) में हॉल सर्वे नम्बर 1485 रकबा 0.11 हे0 भूमि के इन्द्राज को निरस्त कर वादी के वारिसान पवन पिता स्व0 श्री रतु पंचाल, राजेन्द्र पिता स्व0 श्री रतु,, पंचाल, नरेश पिता स्व0 श्री रतु पंचाल, अरविन्द पिता स्व0 श्री रतु पंचाल निवासी सामागडा तहसील गढी को रकबा 0.07 हे0 भूमि तथा प्रतिवादी के वारिसान कमलेशपुरी पिता स्व0 श्री लक्ष्मणपुरी साधु, गजेन्द्रपुरी पिता स्व0 श्री लक्ष्मणपुरी साधु, श्रीमति शान्ति पत्नि स्व0 श्री लक्ष्मणपुरी साधु निवासी सामागड़ा को रकबा 0.04 हे0 भूमि का पृथक–पृथक खातेदार घोषित किया जाता है। पृथक से जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.03.28 16:09:10 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 28.3.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमे की इब्राजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 2012/00038

उनवान

मृतक रतु पिता गौतम पंचाल जाती पंचाल निवासी सामागड़ा तहसील गढी जिला बांसवाडा के वारिसानः–

1/1. पवन पिता स्व0 श्री रतु पंचाल निवासी सामागड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

1/2. राजेन्द्र पिता स्व0 श्री रतु पंचाल निवासी सामागड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

1/3. नरेश पिता स्व0 श्री रतु पंचाल निवासी सामागड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

1/4. अरविन्द पिता स्व0 श्री रतु पंचाल निवासी सामागड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

–: वादीगण

बनाम

मृतक लक्ष्मणपुरी पिता वजेपुरी साधु जाति साधु निवासी सामागडा तहसील गढी जिला बांसवाडा के वारिसानः–

1/1. कमलेशपुरी पिता स्व श्री लक्ष्मणपुरी निवासी सामागडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

1/2. गजेन्द्रपुरी पिता स्व0 श्री लक्ष्मणपुरी निवासी सामागडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

1/3. श्रीमती शान्ति पत्नि स्व0 श्री लक्ष्मणपुरी निवासी सामागडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

2) तहसीलदार, गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

–: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 136, 209 रा.लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय

दिनांकः28.3.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी के वारिसान के नाम दर्ज पटवार हल्का आसोड़ा के मौजा सामागड़ा की जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 की खाता संख्या 290 (नई) 270 (पुरानी) में हॉल सर्वे नम्बर 1485 रकबा 0.11 हे0 भूमि के इन्द्राज को निरस्त कर वादी के वारिसान पवन पिता स्व0 श्री रतु पंचाल, राजेन्द्र पिता स्व0 श्री रतु,, पंचाल, नरेश पिता स्व0 श्री रतु पंचाल, अरविन्द पिता स्व0 श्री रतु पंचाल निवासी सामागडा तहसील गढी को रकबा 0.07 हे0 भूमि तथा प्रतिवादी के वारिसान कमलेशपुरी पिता स्व0 श्री लक्ष्मणपुरी साधु, गजेन्द्रपुरी पिता स्व0 श्री लक्ष्मणपुरी साधु, श्रीमति शान्ति पत्नि स्व0 श्री लक्ष्मणपुरी साधु निवासी सामागड़ा को रकबा 0.04 हे0 भूमि का पृथक–पृथक खातेदार घोषित किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्ब मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक28.3.2024 को जारी की गई।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	[illegible] वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	[illegible]	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	[illegible]	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	[illegible]	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	[illegible]	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.03.28 16:09:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner